

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

26 / 2018
14-2-2018

विनोद पुत्र श्योजी जाट निवासी श्रीपुरा ढाणी गोठड़ा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०
-अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार उप तहसील बनेठा जिला- टोंक

-रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1958
विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बनेठा दिनांक 7-12-2017 पत्रावली
सं० 1735 / 2017



- (1) श्री पवन कुमार जैन अपीलान्ट
- (2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 15-3-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने निर्णय दिनांक 7-12-2017 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1154 रकबा 0.05 है० वाके ग्राम गोठड़ा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 1000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है और नोटिस पर अपीलान्ट का विधिवत् व्यक्तिशः शामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विना सुने व विना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये विना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में गलती का है। अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर कोई नया निर्माण नहीं किया है। अपीलान्ट का उराके पूर्वजों के समय से ही मौके पर मकान बना हुआ है। अपीलान्ट इस भूमि में बने हुए मकान में अपने परिवार सहित निवास करता चला आ रहा है अपीलान्ट के पास इस मकान के अलावा आवास करने हेतु अन्य कोई परिरार भी नहीं है, मौके पर उक्त भूमि चरागाह के रूप में कानून में

जिला कलेक्टर
टोंक



नहीं आ रही है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन राजाएँ कमशः वेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावारा की राजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा राशी सजाएँ एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अभिभाषक अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1154 कुल रकबा 10.73 है० ग्राम गोठडा की आबादी भूमि से विल्कुल नजदीक जिरामें से 0.24 है० भूमि में गाँव के कई लोगों के मकानात व बाड़े बने हुए हैं। यह भूमि आबादी के उपयोग में कई वर्षों से चली हा रही है। जिराके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा आम सभा दिनांक 20-11-2014 को आयोजित की गई थी और उस समय ग्राम सभा में सर्वसम्मति से आबादी भूमि की कमी होने के कारण उक्त आराजी खसरा नम्बरा 1154 में से 0.24 है० भूमि को आबादी विस्तार किये जाने का प्रस्ताव सं० 23 ग्राम सभा में लिया जाकर तहसीलदार उनियारा को दिनांक 20-12-2014 को प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। ग्राम पंचायत ने भी आबादी विस्तार हेतु अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश कर रखा है। निर्णय प्रार्थी की अदम भोजूदगी में पारित किया गया है निर्णय के बारे में अपीलान्ट को जब मालुम हुआ कि दिनांक 30-1-2018 को पुलिस कर्मी अपीलान्ट के घर पर आये तब परिजनों द्वारा बताये जाने पर अपीलान्ट ने निर्णय की नकलें लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 31-1-2018 को तहसील कार्यालय में पेश किया जिसकी नकल दिनांक 1-2-2018 को प्राप्त कर यह अपील विना किसी विलम्ब के पेश की जा रही है। अपील पेश करने में फिर भी यदि देरी मानी जावे तो उसे कन्डोन करने के लिए अलग से धारा-5 लि० एक्ट प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय 30-11-2017 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की वहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट ने चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1154 रकबा 10.73 है० में से 0.05 है० वाके ग्राम गोठडा तह० उनियारा पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था और अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया गया था किन्तु अपीलान्ट बावजूद सूचना न्यायालय में उपरिथत नहीं हुआ है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की चरागाह भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की वहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर तलब किया गया है किन्तु नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील नहीं हुई है। नोटिस पर वजीर, लक्ष्मीनाराण अक्रिक्त है। जिससे यह साबित नहीं है कि अपीलान्ट की तामील विधिवत करवाई गई हो। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपरिथत नहीं हुआ है। नायब तहसीलदार बनेडा द्वारा अपीलान्ट की विना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।



✓
जिला कलेक्टर
टॉक

फलतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7-12-2017 अपास्त किया जाकर नायब तहसीलदार बनेटा को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर समस्त रिकार्ड/कब्जे की जांच कर पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 15-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक